राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN) Phone- 2227725

क्रमांकः एफ.61(3) SSAAT/ECMeeting/2019/1061 जयपुर, दिनांकः 31 जुलाई, 2020

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की द्वितीय बैठक कार्यवाही विवरण

सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की द्वितीय बैठक **श्री राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह–अध्यक्ष कार्यकारी समिति (E.C.) की अध्यक्षता में** दिनांक 29.07.2020 को सांय 4 बजे ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित थेः–

क्र.सं.	अधिकारीगण	पद
1	श्री पी. सी. किशन, आयुक्त, मनरेगा एवं विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास (अति. चार्ज)	उपाध्यक्ष
2	श्री ओ. पी. बुनकर, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	सदस्य
3	श्री राजेन्द्र किशन, संयुक्त शासन सचिव, श्रम (LSEE) विभाग	प्रतिनिधि, शासन सचिव श्रम विभाग
4	श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य–सचिव
5	श्री एच एस मीणा, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग,	प्रतिनिधि, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
6	श्री सुरेश गुप्ता, अति. निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	प्रतिनिधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
7	श्री रक्षपालसिंह, सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (कार्यवाहक उप निदेशक) सोसायटी (SSAAT)	सदस्य

सर्वप्रथम निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) ने सोसायटी के बारे में अब तक के किया कलापों का विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् आज की बैठक के प्रत्येक एजेंडा पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये–

2.1 **कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही विवरण की पुष्टिः–**

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया एवं बाद विचार विमर्श इसकी पुष्टि की गयी।

2.2 **कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णयों पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report- ATR):– का अवलोकन**

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 में लिये गये 6 निर्णयों की विधिवत पालना की गयी है और आवश्यकतानुसार श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन उपरांत विभिन्न आदेश जारी किये जा चुके हैं। सभी निर्णयों की कियान्विति (Action Taken Report- ATR) का अवलोकन किया गया एवं संतोष व्यक्त किया गया।

2.3 **सोसायटी का वर्ष 2020–21 का बजट अनुमोदन करना :–**

भारत सरकार से प्राप्त राशि रू. 13.5133 करोड का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा सोसायटी के लिए किये गये बजट मदों में किये जाने पर वर्ष 2020–21 के लिए बजट तैयार किया जाकर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की आई डी संख्या 1635 दिनांक 19.05.2020 द्वारा अनुमोदन किया गया है। उपरोक्त बजट प्रावधानो पर विचार विमर्श उपरांत सोसायटी का वर्ष 2020–21 का बजट अनुमोदन किया गया।

2.4 **सोसायटी की "वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20" का अनुमोदन:–**

सोसायटी के "वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2019–20" का अवलोकन किया गया एवं वर्ष 2019–20 के दौरान सोसायटी में सम्पन्न हुई विभिन्न गतिविधियों पर विचार विमर्श उपरांत इस प्रगति प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

2.5 **सोसायटी के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखों के अंकेक्षण एक साथ कराने का अनुमोदन करना:–**

सोसायटी का गठन वर्ष 2019–20 में ही हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में अधिकारियों– कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं कोई सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियों का व्यय (नरेगा योजना से पूर्ववत् किये जाने से) समिति द्वारा वहन नहीं किया गया है। केवल सामान्य कार्यालय उद्देश्यों के लिए मात्र रू. 51,318/– की अत्यल्प राशि का ही व्यय हुआ है। सोसायटी के नियमों के अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (C.A.) द्वारा लेखों का अंकेक्षण कराया जाना है, परन्तु इस कार्य पर होने वाले संभावित व्यय और अत्यल्प व्यय राशि को देखते हुए कार्यकारी समिति ने विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय किया कि वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखों का अंकेक्षण एक साथ करा लिया जावे।

2.6 **सोसायटी की शक्तियों का प्रत्यायोजन (Schedule of Powers) में नवीन आइटम्स जोड़े जाने के आदेश का अनुमोदन करना–**

सोसायटी की शक्तियों का प्रत्यायोजन (**Schedule of Powers**) में नवीन आइटम्स जोड़े जाने के आदेशों पर विचार विमर्श किया गया। समिति की शक्तियों का प्रत्यायोजन (**Schedule of Powers**) के आईटम संख्या 2 (**J**) का अनुमोदन किया गया।

सोसायटी के बजट के बाबत विचार विमर्श उपरांत अनुमोदन संबंधी बिन्दु पर यह निर्णय किया गया कि सोसायटी का बजट कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के द्वारा अनुमोदित कराया जावे एवं कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में समिति से कार्योत्तर पुष्टि कराये जाने की व्यवस्था की जावे।

153

2.7 **सोसायटी के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का चयन विनियम, 2020 में वित्त विभाग की टिप्पणी बाबत निर्णयः–**

सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादन हेतु मानव शक्ति अनुमोदन का प्रकरण वित्त विभाग को भिजवाये जाने पर उन्होंने पूर्व स्वीकृत पदो के लिए भी मानवशक्ति का अनुमोदन कुछ शर्तों के साथ किया। इसमें एक शर्त यह है कि सोसायटी के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 में वित्त विभाग की टिप्पणी अनुसार वित्त विभाग के आदेश कमांक F.1(4)FD/Rules/2011/पार्ट–II दिनांक 27.06.14 की शर्तों को सम्मिलित किया जावे। इस विषय में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस आदेश में वर्णित सभी सुविधाओं के बारे में चर्चा में पाया गया कि सोसायटी में केवल एक वर्ष हेतु ही संविदा नियुक्तियां की जानी हैं। अतः निम्नलिखित सुविधाएं दिया जाना उचित नहीं होगाः–

(i) वार्षिक वेतन वृद्वि 10 प्रतिशत की दर से,
(ii) महिला कर्मियों को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश,
(iii) Payment of Gratuity Act, 1992 के प्रावधानानुसार ग्रेच्युटी (Gratuity) का भुगतान और
(iv) Contributory Pension Scheme (10% of the Consolidated Amount by the Employer and Employee both)

चूंकि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त अनुदान राशि स्वीकृत करने से मना किया गया है और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि में से ही सभी व्यय वहन किये जाने हैं। अतः बाद विवेचन यह निर्णय किया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भारत सरकार को प्रेषित कर उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही उपयुक्त कार्यवाही की जावे।

2.8 **सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही पर विचारः–**

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही की प्रगति बाबत निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण ने अवगत कराया कि इस प्रयोजनार्थ गठित उपापन समिति के माध्यम से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 **(RTPP Act, 2012 & Rules, 2013)** की पालना करते हुए उपयुक्त संस्था का चयन किया जाना प्रकियाधीन है। उपापन समिति द्वारा वर्तमान में प्रचलित कोरोना महामारी की परिस्थितियों में आवेदकों की संख्या 3गुणा से अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने के वर्तमान प्रावधान में संशोधन कर केवल येाग्यता संबंधी प्रमाणपत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर चयन कार्यवाही किये जाने के विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रकिया बाबत निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

(i) सोसायटी द्वारा जारी सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का चयन विनियम, 2020 वर्तमान परिस्थितियों के कारण लिखित परीक्षा के स्थान पर केवल शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर ही चयन प्रक्रिया संपादित करने का निर्णय किया गया।

(ii) यह निर्णय किया गया कि सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्तियों, जिला संसाधन व्यक्तियों, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार चयनित संस्था के माध्यम से केवल ऑनलाईन रीति से आवेदन–पत्र लिये जाकर कार्यवाही करें, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जावे। संस्था द्वारा आवेदकों की पात्रता संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाकर पूर्ण पारदर्शितापूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु अपेक्षित वर्गवार वरीयता सूचियां उपलब्ध करायी जावेंगी जिनमें जिलेवार, पंचायत समितिवार चयन कार्यवाही, पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) केवल निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही की जावेगी।

(iii) सोसायटी द्वारा जारी सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 के नियम 5(v) में शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षाओं के औसत के आधार पर चयन के प्रावधान के स्थान पर सभी संसाधन व्यक्तियों (सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्तियों, जिला संसाधन व्यक्तियों, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों) के लिए इन नियमों में प्रावधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) के प्रतिशत के आधार पर ही (प्रशैक्षणिक योग्यता परीक्षा के प्राप्तांकों को सम्मिलित किये बिना) वरियता सूचि बनाकर चयन प्रकिया करने का निर्णय लिया गया।

(iv) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRPs) की प्रशैक्षणिक योग्यता बाबत उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 4 (द) (ii)– "प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता–सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" में निम्नानुसार प्रावधान और जोडा जावे–

"Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. (RKCL) द्वारा कराये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RS CIT) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा / डिग्री प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।"

2.9 <u>सामाजिक अंकेक्षण कार्य की स्थिति पर विचार</u> :–

वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी की परिस्थितियों के चलते पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन पर जारी प्रतिबन्ध के कारण कोई भी सामाजिक अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा विडियो कॉफ्रेस दिनांक 29.05.2020 में प्रदत्त समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने के निर्देशों पर सक्षम स्तर पर हुए निर्णय अनुसार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) भी नहीं कराया जा रहा है क्योंकि राजस्थान राज्य में वर्तमान में संसाधन व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया ही विचाराधीन चल रही है।

सम्पूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरांत ही समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) करवाया जावे।

155

2.10. <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक अतिरिक्त विचारणीय बिन्दुः–</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक अतिरिक्त विचारणीय बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें निदेशक, सोसायटी के निजी सचिव पद पर कार्यरत श्री ओमप्रकाश यादव की आयु 31.07.2020 को 65 वर्ष पूर्ण होने पर और कोरोना वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में कोई अन्य सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध न हो पाने के प्रकाश में श्री यादव की सेवाएं एक वर्ष तक अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने तक लिये जाने बाबत सम्पूर्ण प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस पर सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति द्वारा अंतिम निर्णय करने का अधिकार श्रीमान् अध्यक्ष महोदय को दिया गया।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक संपन्न हुई।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT) एवं सदस्य–सचिव

क्रमांकः एफ.61(3) SSAAT/ECMeeting/2019/1062-74 जयपुर, दिनांकः 31 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय **(SSAAT)**
2. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पराज सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, **(SSAAT)**
3. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा,
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग एवं उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति **(SSAAT)**
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**
11. उप निदेशक/लेखाधिकारी, SSAAT
12. समस्त सहायक लेखाधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय/प्रोग्रामर, SSAAT
13. रक्षित पत्रावली।

31.7.2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक (SSAAT) एवं सदस्य–सचिव